राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3(ख) / (डी–1213 / डीजीएस) / अलेसे– ।। / दिनांकः–

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक अधिकारी, कृते ग्रुप कमाण्डर, मुख्यालय एनसीसी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 127 / सिंव / डीजी / 4284 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय मे कार्यरत श्री दीपक गोयल, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय ग्रुप कमाण्डर, ग्रुप मुख्यालय एनसीसी, जोधपुर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर में अपराध संख्या 110 / 2016 के अनुसंधान के क्रम में दिनांक 03.03.2017 को मध्याह्न पश्चात् गिरफ्तार किया गया तथा माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आदेश दिनांक 04.03.2017 के अनुसार आरोपी श्री दीपक गोयल दिनांक 04.03.2017 से 09.03.2017 तक पुलिस रिमाण्ड रहे है। अतः श्री गोयल को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत निदेशालय के आदेश क्रमांक 2508 दिनांक 22.03.2017 द्वारा श्री गोयल को दिनांक 04.03.2017 को निलंबित कर मुख्यालय कोषालय, नागौर किया गया है। श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री गोयल ने दिनांक 30.11.2017 के द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक भ्र.नि. ब्यूरो / जोधपुर / 2017 / 2207 दिनांक 30.11.2017 द्वारा निदेशालय को अवगत कराया है कि अभियोग संख्या 109 व 110 / 2016 में आरोपी श्री दीपक गोयल, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निलंबित) कार्यालय कोषालय नागौर से अनुसंधान किया जा चुका है तथा दोनो प्रकरण अनुसंधानाधीन है। चूंकि निलम्बन अवधि में वृद्धि के लिए श्री गोयल प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। (निल.) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 04.09.2017 से 50 प्रतिशत की अभि–वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ख) / (डी–1213 / डीजीएस) / अलेसे– ।। / 2306 दिनांकः– 22-1-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पुलिस अधीक्षक (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2207 दिनांक 30.11.2017 के क्रम में।
3. कोषाधिकारी, नागौर।
4. श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निल.), मुख्यालय, कोष कार्यालय, नागौर।
5. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक महोदय।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी / पदस्थापन सीट / एसीपी सीट / जांच शाखा / रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\usha ji\order.docx